



भारत का राजपत्र

The Gazette of India.

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 27, 1970/आषाढ़ 6, 1892

No. 26]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 27, 1970/ASADHA 6, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

CABINET SECRETARIAT

(Department of Statistics)

(Establishment II Section)

New Delhi, the 15th June 1970

G.S.R. 958.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the General Central Service (Class III posts in the Industrial Statistics Wing, Central Statistical Organisation, Calcutta, Cabinet Secretariat), Recruitment Rules, 1959, namely:—

1. (1) These rules may be called the General Central Service (Class III posts in the Industrial Statistics Wing, Central Statistical Organisation, Calcutta, Cabinet Secretariat) Recruitment (Amendment) Rules, 1970.

ERRATUM

In the Ministry of Home Affairs Notification No. 22/13/69 Ests. (b) dated the 5th March 1970 regarding the Union Public Service Commission (Ex-cadre Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1970 appeared as G.S.R. 457 in the Gazette of India Part II, Section III Sub-section (1) issued on 21st March 1970 in the Schedule against entry 29 on page 954 in column 6 for "25—30 years" read "23—30 years".

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

CORRIGENDUM

New Delhi, the 3rd June 1970

G.S.R. 960.—In the English version of this Ministry's Notification No. 16(20)69-BD dated the 30th March, 1970 the following amendments may please be made:—

- (i) Against S. No. 65, column 13, "Diesel" should be inserted before the word "Engine".
- (ii) Against S. No. 66, column 13, the existing entries may be deleted.

[No. 16(20)/69-BD.]

C. B. GIRIDHAR, Under Secy.

जाय, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(जाय विभाग)

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1970

सा० का० नि० 554.—चावल कुटाई उद्योग (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1968 (1968 का 29) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1970 की मई के प्रथम दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम के उपाबन्ध प्रवृत्त होंगे।

द० न० प्रसाद, उप सचिव।

[सं० 209 (साधारण) (1)/8/67-पी० वाई०-II]

(जाय विभाग)

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1970

सा० का० नि० 649.—आवश्यक वस्तु/गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, ऐसे प्राधिकारियों, निकायों और संगमों से परामर्श करने के पश्चात् जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझती है, एतद्वारा वह न्यूनतम कीमत नियत करती है जो नीचे के उपाबन्ध 1 में विनिर्दिष्ट निर्वात पैन प्रक्रिया शंकरा कारखानों के स्वामियों द्वारा या उनके अधिकृतियों द्वारा, वर्ष 1969-70 के दौरान उनके कारखानों के द्वार पर या किसी क्रय केन्द्र पर परिवर्तित करने के लिए देय होगी तथा भारत सरकार के जाय, कृषि, सामुदायिक विकास